

प्र.स. 611
प्र.स. 611

प्र.स. 611
प्र.स. 611

संख्या 2454

111-2/05-07(पा.आ.) / 05 टी.सी.

प्र.स. 611

प्र.स. 611
प्र.स. 611
प्र.स. 611

प्र.स. 611

मुख्य अभियन्ता स्तर 1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 109 (एक सौ नौ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 109 कार्यों के रूपये 14452.19 लाख की लागत के आगमनों पर टी.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 12930.35 लाख (एक सौ उन्नीस करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगमन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्पूर्ण कलम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु. 10.90 लाख (रु. दस लाख नव्वे हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की गी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगमन में उल्लिखित दरों का निरलेपन विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं विजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का मुमताम नियमानुसार प्रथम तरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व निरस्त आगमन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राथमिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उत्पन्न हो व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी, और प्रसंगत योजना हेतु भूमि का कब्जा होने के बाद ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में धनराशि शासन को 31.03.06 तक सौंपित कर दी जायेगी।
5. एकमुस्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व निरस्त आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दर्शो/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का गती गति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पर्यन्त स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

Sub Divisional Officer
P.W.D. Ramnagar
Distt. (Nainital)

24/05/05

24/05/05

सहायक अभियन्ता (उत्तुय)
ग्राम्तीय खण्ड, लो.नि.वि., रानीखेत
मुख्यालय - रामनगर

70.	जनपद अल्मोडा में शीतलाखेत काकडीघाट मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	158.67	111.20	0.10	
79.	जनपद अल्मोडा में खूंट काकडीघाट मोटर मार्ग का समशीकरण।	2.05	30.03	30.00	0.10	
80.	जनपद अल्मोडा में पत्थरखोला से महर्गोव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	12.00	233.04	166.80	0.10	
81.	तहसील गरुड में प्राथमिक स्नातक केन्द्र से ब्लाक मुख्यालय तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार।	1.25	26.25	26.25	0.10	
82.	जनपद उत्तरकाशी में हनुमान घाटी-जानकी घाटी मोटर मार्ग के किमी 7 से 10 तक समशीकरण का कार्य।	4.00	42.80	42.80	0.10	
83.	जनपद अल्मोडा में महर्गोव चित्तौड़खाल मोटर मार्ग को नव निर्माण का प्राथमिक आगमन।	9.050	187.41	134.14	0.10	
84.	जनपद अल्मोडा में खूंट काकडीघाट मोटर मार्ग का किमी 18.90 से 32.00 तक विस्तार (लगभग 15.00 किमी.) व किमी. 9.90 से किमी. 12.90 तक (लगभग 3.00 किमी.) हल्का याहन को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का प्राथमिक आगमन।	16.00+	313.30	224.70	0.10	
85.	जनपद अल्मोडा में सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुवाली-गिलारकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रा. आगमन)।	3.00				
86.	जनपद अल्मोडा में जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेटवाल-तमनखाल मोटर मार्ग के मध्य में आर.सी.सी. कर्बेट एवं खाल नदी पर मोटर पुल का निर्माण कार्य।	10.00	139.00	139.00	0.10	
87.	जनपद अल्मोडा में बलराज कुवाली सरायखेत मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्राथमिक आगमन।	18 गी.रो.तु। पुहिया	26.00	26.00	0.10	
88.	जनपद अल्मोडा में गोलूपीना गल्ली बरपुरा गोविन्दपुर मोटर मार्ग का निर्माण।	20.00	396.60	278.00	0.10	
89.	जनपद अल्मोडा में कोसी दौलाघाट कोडीपीना मोटर मार्ग के ग्राम मेवापानी से पत्थरकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00+10 मी० आर.सी.सी. पुल	147.55	106.00	0.10	
90.	जनपद अल्मोडा में मुष्कीकेलानी से मरामोली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्राथमिक आगमन।	3.00+	72.45	54.60	0.10	
91.	मिकियासैण बासीट घाटी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार (पुल सहित) का प्राथमिक आगमन।	15 मी. आर.सी. री. पुल	194.20	139.00	0.10	
92.	जनपद अल्मोडा में तहसील राहट, विधान सभा क्षेत्र राहट में स्वतन्त्रता सेनानियों के ग्राम शलगुड को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग बनाने का प्रस्ताव।	10.00	272.75	270.00	0.10	
93.	जनपद अल्मोडा में तहसील राहट में ग्राम रामा जामणी को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (प्रा. आगमन)।	13.00	83.40	83.40	0.10	
94.	जनपद अल्मोडा में विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत छोला देवी-खेती मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं सुधार।	6.00				
		8.00	112.20	112.20	0.10	
		5.600	82.00	42.00	0.10	

Sub Divisional Officer
P.W.D. Ramnagar
Distt. (Nainital)

सहायक अभियन्ता (कृत्य)
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., रानीखेत
मुख्यालय - रामनगर